



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072020-220569
CG-DL-E-17072020-220569

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2095]
No. 2095]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2020/आषाढ 26, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2020/ASADHA 26, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2020

का.आ. 2378(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 434 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 262 के खंड (डबल्यू) के अधीन इसके द्वारा बनाए गए नियम, जो कि पाल जलयानों पर स्पष्ट तौर पर लागू नहीं होते, वे तत्काल प्रभाव से पाल जलयानों पर भी लागू होंगे।

[फा. सं. एफ-20019/4/2019/एमजी]
सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2020

S.O. 2378(E).— In exercise of the powers conferred by section 434 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby directs that the rules made by it under clause (w) of section 262 of the said Act, which do not expressly apply to sailing vessels, shall also apply to sailing vessels, with immediate effect.

[F.No. F-20019/4/2019-MG]
SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.